न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार गौरा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 107/2022

दायर दिनांक :- 23.12.2022

उनवान

जयसिंह पुत्र मेवा जाति गुर्जर निवासी चांदराना तहसील व जिला दौसा।

बनाम

मांग्या पुत्र मेवा जाति गुर्जर निवासी चांदराना तहसील व जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा – अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्ताकारी अधि0

::निर्णय:: दिनांकः 04.04.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम चांदराना तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 1188 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 1189 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 1190 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 1234 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 1235 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1236 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 1757 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 1758 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 796 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 798 रकबा 1.08 है0, खसरा नं0 804 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 805 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 806 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 807 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 808 रकबा 0.39 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 8.68 है0 स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रार्थी एवं अप्रार्थी व वाद में अंकित प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा जमाबंदी में अंकित है।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

है0, खसरा नम्बर 1235 (बारह सो पेतीस) रकबा 0.04

ख0नं0 792/2193 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 797 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 के खातेदार प्रार्थी व अप्रार्थी व वाद में अंकित प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/6 भाग है तथा प्रार्थी की मृतक माता तीजा का भी 1/6 भाग है। मृतक माता के 1/6 भाग में 1/2 भाग में प्रार्थी व 1/2 भाग अप्रार्थी संख्या एक को प्राप्त हो गया तदानुसार प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/4 भाग होता है।

यह कि ग्राम चांदराना तह दौसा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 792 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 793 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 794 रकबा 0.89 है0, खसरा नम्बर 795/2195 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 796/2194 रकबा 0.04 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.10 है0 के खातेदार प्रार्थी एवं अप्रार्थी व वाद में अंकित प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/24 हिस्सा खातेदारी में अंकित है।

प्रार्थी व अप्रार्थी एवम वाद में अंकित प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 तथा वाद में अंकित प्रतिवादी संख्या 6 ने उपरोक्त भूमि का वाहमी तकास्मा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। परन्तु भूमि का समान व सही विभाजन न होने के कारण तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अवैध रूप से भूमि पर अवैध निर्माण करने, प्रार्थी को काश्त करने में बेजा दखल देने व प्रार्थी के अपने हिस्से की भूमि पर आने जाने में दखल देने के कारण तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा धमकी दी कि वह भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान करेगा ।

अप्रार्थी संख्या एक को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावे कि वे ग्राम चांदराना तह0 व जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 1188 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 1189 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 1190 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 1234 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 1235 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1236 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 1757 रकबा 0. 41 है0, खसरा नं0 1758 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 796 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 798 रकबा 1.08 है0, खसरा नं0 804 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 805 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 806 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 807 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 808 रकबा 0.39 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 8.68 है0 एवं ख0नं0 792/2193 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 797 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि के किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान नही करें व हरे वृक्ष नही काटे।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर दिनांक 23.12.2022 को प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बाजवूद तामील न्यायालय में उपस्थित नही हुआ अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

1. **प्रथम दृष्ट्या मामलाः–** इसका अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया गया है क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है या नहीं है। उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम चांदराना तह0 व जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 1188 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 1189 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 1190 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 1234 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 1235 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1236 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 1757 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 1758 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 796 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 798 रकबा 1.08 है0, खसरा नं0 804 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 805 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 806 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 807 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 808 रकबा 0.39 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 8.68 है0 एवं ख0नं0 792/2193 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 797 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार प्रार्थी है। हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में जाता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नही होगी।

चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पास खातेदारी अधिकार होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन दोनो प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी के पक्ष में तीनो बिन्दू यथाः– प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना हम विधि संगत समझते हैं।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वाके ग्राम चांदराना तह0 व जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 1188 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 1189 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 1190 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 1234 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 1235 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1236 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 1757 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 1758 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 796 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 798 रकबा 1.08 है0, खसरा नं0 804 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 805 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 806 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 807 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 808 रकबा 0.39 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 8.68 है0 एवं ख0नं0 792/2193 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 797 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि के अप्रार्थीगण ताफैसला वाद किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान न करें एवं हरे वृक्ष न काटे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक......**04.04.2023**........को सरे ईजलास सुनाया गया।

संजय कुमार गौरा (आर.ए.एस. अति. चाजी)
सहायक कलक्टर, दौसा

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा